पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार एच.जे.एस. 15/05/17 15/07/20 3 वर्ष, 2 माह, 0 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या– 207/2017,

प्रकाश साहू उम्र करीब 49 वर्ष तनय श्री लक्ष्मन साहू निवासी सनराइज स्कूल के पास डड़ियापुरा बड़ागांव गेट बाहर जिला झांसी (**मृतक दौरान मुकद्दमा**)

1/1. श्रीमती लक्ष्मी साहू उम्र 48 वर्ष पत्नी स्व. प्रकाश साहू

1/2. कु. करिश्मा उम्र 18 वर्ष पुत्री स्व. प्रकाश साहू

समस्त निवासियान म. नं. 1127/7 डड़ियापुरा सनराइज स्कूल के पास बड़ागांव गेट बाहर, झाँसी। ––––– याचीगण

बनाम

1. उमेश चन्द्र पुत्र रघुवर दयाल निवासी म. नं.125 मास्टर कालोनी डड़ियापुरा बड़ागांव गेट बाहर थाना कोतवाली, जिला झाँसी,
.....मालिक व चालक आपे नं. यू.पी.93 टी 5696
2. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं.लि.नन्दनपुरा, सीपरी बाजार, झाँसी
.....बीमा कम्पनी आपे नं. यू.पी.93 टी 5696

–––––विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता श्री मुहम्मद शमीम खान

विपक्षी सं. 1 के अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी

विपक्षी सं. 2 के अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव

15.07.2020

पत्रावली पेश हुयी। पत्रवली आज आदेश हेतु नियत है।

33 बी सुलहनामा पर विगत नियत तिथि पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याचीगण ने प्रस्तुत याचिका मुब. 10,75,000/–रु. क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। याचीगण व विपक्षी सं.2 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. के मध्य हुआ सुलहनामा 33 बी पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। राजीनामा 33 बी दिनांक–29.06.2020 को उभय पक्ष की उपस्थिति में तसदीक किया गया है। उभय पक्ष को राजीनामा सुनाया एवं समझाया गया। उक्त राजीनामा की शर्तों के अनुसार विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 40,000/– याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर देने हेतु सहमत हैं, जिसे याचीगण लेने हेतु सहमत हैं। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा 33 बी की पुष्टि की गयी है। अतः याचिका सुलहनामा 33 बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा 33 बी की शर्तों के अनुसार निर्णीत की जाती है। विपक्षी सं.2 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं.लि. को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर की धनराशि मुबलिग ₹ 40,000/– (चालीस हजार) 30 दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में जमा करें। उक्त प्रतिकर की धनराशि जमा होने पर याची सं.1/1 श्रीमती लक्ष्मी साहू व याची सं.2 कु.करिश्मा जो कि क्रमशः मृतक की पत्नी व पुत्री हैं जो कि वारिसान के रूप में याचिका में प्रतिस्थापित हुये हैं, प्रत्येक बीस–बीस हजार रुपये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त करेंगी। सुलहनामा 33 बी इस आदेश का भाग रहेगा। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.15 15:49:13 IST
Reason: Document Owner
Location: MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL JHANSI UP